


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

R-2899-III/13

- 1-श्रीमती अंबेरिया पत्नी स्व. चन्द्रभान
- 2-राजेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व.चन्द्रभान सिंह
- 3-राकेश कुमार सिंह तनय स्व. चन्द्रभान सिंह



Rs 20/-

सभी निवासी ग्राम रजौला तह.मझिगंवा उप तहसील चित्रकूट जिला सतना म.प्र.

325
26.6.13

.....निगरानीकर्ता

बनाम

.....गैरनिगराकार

शासन म.प्र.

अधीनस्थ श्री राजातनू सिंह
हाल गालुना
सी.दिनांक 27-6-13
याफ कोट

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा राजस्व अपील कं. 865/अपील/2012-13 पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.05.2013
निगरानीकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.सं.1959 ई.

समुचित कोर्ट शुल्क चस्पा है अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा राजस्व अपील कं. 865/अपील/2012-13 पारित निर्णय व आदेश दिनांक 28.05.2013 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अस्तु विनय है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 28.05.2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण की सुनवाई का निगरानीकर्ता को अवसर देते हुए प्रकरण को रिमांड करने की कृपा की जाय।

निगरानीकर्ता

23.8-18.

- 1- आवेदक गण तथा उनके अभिभावक की प्रकाश करायी गयी किन्तु सचता उपरांत उपाणित नहीं है।
- 2- यदि आवेदक गण की प्रकाश सप्तप. सप्तप. सी. व. क. की प्रती किन्तु उपाणित नहीं है। अतः लक्ष्मि की धारा 35(3) के तहत प्रकाश अदम वेरवी में रखाजि किया जाता है।
- 3- अदम की प्रती के साथ अधीनत्व आपत्तियों का का रिमांड वापस किया जावे। तत्पश्चात् प्रकाश वंजी से तमाए होकर प्र. द. हो।

11/23/18
सफ्त्य

[क. प. उ.]